



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3077]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2017/कार्तिक 11, 1939

No. 3077]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2017/KARTIKA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2017

का.आ. 3512(अ).—भारत गणराज्य और न्यूजीलैंड सरकार के बीच अभिसमय के तीसरे प्रोटोकाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रोटोकाल कहा गया है) आय कर के संबंध में दोहरे कराधान का परिवर्जन करने और राजकोषीय अपवंचन का निवारण करने के लिए जैसा कि इस अधिसूचना के उपाबंध में वर्णित है, पर नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और उक्त प्रोटोकाल 7 सितंबर, 2017 को लागू हुआ है जो उक्त प्रोटोकाल के तीसरे अनुच्छेद के अनुसार, उक्त प्रोटोकाल को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित विधियों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने की तारीख है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि इससे यथा उपाबद्ध उक्त प्रोटोकाल के सभी उपाबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा न्यूजीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय का तीसरा प्रोटोकाल

भारत गणराज्य की सरकार तथा न्यूजीलैंड की सरकार;

दिनांक 17 अक्तूबर 1986 को ऑकलैंड में किए गए आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद “अभिसमय” कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जैसे स्पष्टतः संगत (दस्तावेज सहित) या संविदाकारी राज्यों की या इनके राजनैतिक उपखण्डों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से अधिरोपित प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों संबंधी घरेलू कानूनों के प्रशासन या प्रवर्तन जहां तक इसके तहत कराधान अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है, सम्बंधी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद - 2

अभिसमय को अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 26 क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं, के विरुद्ध न हो।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो, उस समय, उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी, पैराग्राफ 3 और 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

- क) पैराग्राफ 3, के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- ख) पैराग्राफ 4, के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अंतर्गत इसकी अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 4

यह प्रोटोकॉल जो इस अभिसमय का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह अभिसमय लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह अभिसमय प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में, वर्ष 2016 के अक्तूबर माह की छब्बीस तारीख को, हिन्दी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा की दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की	न्यूज़ीलैंड की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से
प्रीति सरण	एंद्रिया स्मिथ
[सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय]	[उप सचिव, व्यापार एवं विदेशी मामले मंत्रालय]

[अधिसूचना सं. 93/2017/फा. सं. 501/1/83-एफटीडी. II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव